विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / प्रशासन / संस्थापन / 2023 / 1091 दिनांक : 26/09/2023

–:: विज्ञप्ति ::–

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक / एफ–1–6 / 2017 / 38–3 भोपाल दिनांक 14 / 06 / 23 के बिन्दु क्रमांक 2 के अनुसार अधिसूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 11 / 04 / 23 की कंडिका 6(i) एवं 6(iii) के प्रावधानुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में छात्रों की शिकायत के निराकरण करने हेतु विश्वविद्यालय लोकपाल (Ombudsperson) की नियुक्ति की जाना है।

विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेब साईट https://www.vikramuniv.ac.in से प्राप्त की जा सकती है

आदेशानुसार

कुलसचिव

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / प्रशासन / संस्थापन / 2023 / 1092 दिनांक 26/09/2023

–::विज्ञापन का प्रारुप::–

विक्रम विश्वविद्यालय में उज्जैन में लोकपाल (Ombudsperson) के पद पर पदस्थगी के लिए नियुक्ति की जाना है।

विक्रम विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम 2012, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (3 : 1956) तहत म. प्र. विश्वविद्यिालय अधिनियम, 1973 के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों में छात्रों की शिकायतों के निराकरण के लिये लोकपाल (Ombudsperson) के पद हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है।

पात्रता एवं अनुभव – लोकपाल वह व्यक्ति होगा जो एक न्यायाधीश रहा हो, जो जिला न्यायाधीश से निचले पद का ना हो अथवा एक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हो जिसके पास एक प्रोफेसर के रुप में दस वर्ष का अनुभव हो।

कार्यकाल – लोकपाल (Ombudsperson) एक अंशकालीक अधिकारी होगा जिसे तीन वर्ष के लिये अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक इनमें से कार्यभार संभालने की तिथि से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जायेगा तथा उसी विश्वविद्यालय में उसे एक ओर सत्र के लिये भी नियुक्त किया जा सकता है।

शुल्क – लोकपाल को यात्रा व्यय पूर्ति के अतिरिक्त प्रतिदिन सुनवाई के लिये रुपये 3000/– का शुल्क देय होगा, जो कि विश्वविद्यालय द्वार दिया जायेगा।

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मात्र रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से पता – "कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, प्रशासनिक माधव भवन, कोठी रोड़ उज्जैन 456010" पर प्रेषित की जा सकेगी।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31/10/2023 तक है। अंतिम तिथि पश्चात पश्चात प्राप्त एवं अपात्र/अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन प्रारुप एवं लोकपाल पद हेतु विक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाईट https://www.vikramuniv.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

कुलसचिव
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

—::आवेदन का प्रारुप::—

विश्वविद्यालय का नाम – विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म. प्र.)
(जिसमें लोकपाल के रुप मं पदस्थ होना चाहते है
मात्र एक विश्वविद्यालय का नाम लिखें)

आवेदक का नाम	–
पिता / पति का नाम	–
जन्म तिथि	–
शैक्षणिक योग्यता	–
वर्तमान पता	–
स्थाई पता	–
दूरभाष / मोबाईल नम्बर	–
पद पर सेवानिवृति दिनांक	–
निवर्तमान पद कानाम	–
निवर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक	–
वेतनमान जिसमें कार्यरत रहें	–

घोषणा पत्र

मैं.......................... पिता / पति............................. एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ, कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सत्य एवं पूर्णतया सही है। जानकारी असत्य पाये जाने पर समस्त जिम्मदारी मेरी स्वयं की होगी। अपूर्ण एवं असत्य जानकारी पाये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

दिनांक –

संलग्न –

आवेदक के हस्ताक्षर